

आचार्य
राजिव प्रौद्योगिक विद्या परिषद
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या - प्रौद्योगिकी विद्या परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

सम्बद्धता दिनांक - 09/06/2021

-आचार्य्य अर्थ-

अखिल भारतीय छात्रों की शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-राज्यीय सहायित्व और इन्फ्रिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2021-22 हेतु प्रौद्योगिकी विद्या परिषद छात्रों की शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्रौद्योगिकी विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश शासन से सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/06/2021 को पत्राचार आचार्य्य में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से सहायित्व संस्थाओं को सम्बद्धता विचार- पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार कराते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में निम्ने एवं निर्णय के अनुसार नई विद्या संस्था को प्रौद्योगिकी विद्या परिषद, उा उा सम्बद्धता द्वारा सत्र 2021-22 हेतु नियुक्ति सहित के अर्जित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विचार प्रदान की जाती है:-

संस्था का पते एवं नाम : 1319-DHARMSAMAJ COLLEGE OF PHARMACY, NEAR ACHAL TAL, G T ROAD, ALJGARH

क्र.सं	पाठ्यक्रम का नाम	सु-आर्थिकीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सु-आर्थिकीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा नियुक्ति की शर्तें सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विद्या परिषद एकर 1982 तथा प्रौद्योगिकी विद्या परिषद विनियमवली 1982, केन्द्रीय विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क हीन शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय परामर्शी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय परामर्शी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश उपपत्राव से प्राप्त किया जायेगा; उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावासों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर साक्ष्य प्राप्त किया जाने वाली साक्षात्परीक्षा प्रणाली होगी, और अनुसूचा कार्यवाही किया जाकर अनुपालन होगा। परिसर निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु परिसर का पुनर्विचार किया जाता है, जो परिसर की नवीनीकरण पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2000 प्रौद्योगिकी विद्या समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया गया) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा; शीर्ष के विद्या रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समझ-बूझ पर निर्भर साक्षात्परीक्षा के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क प्राप्त करना होगा।

- ✓ संघ को एम.बी.बी.डी.पी.सी.आई. में अपनी पर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया अन्य आवश्यक होगा।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बने नये विनियमों/अधिनियमों/कारणवशात/विदेशी एवं विदेशी, प्रतियोगिता, 2020, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बने नये विनियम, विनियमों, अधिनियमों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों के पालन के सम्बन्ध में पी.सी.आई. एवं दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है तो इस संबंध में संघ का प्रशासनिक संघ का होगा और प्रतियोगिता एवं विदेशी को कार्यालयों के लिए संबंधित कार्य प्रशासकीय होगी। प्रतियोगिता परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्रतियोगिता विभाग विदेशी एवं प्रतियोगिता विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कार्य प्राप्त किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश के संबंध में या, आवश्यकता प्राप्त किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निम्न किया जाता है तो संघ प्रतिक्रिया संबंधित कार्य को करती होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यों के पालन के सम्बन्ध में पी.सी.आई. एवं दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक रहती है तो इस संबंध में संघ का प्रशासनिक संघ का होगा और प्रतियोगिता एवं विदेशी को कार्यालयों के लिए संबंधित कार्य प्रशासकीय होगी। प्रतियोगिता परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बने नये विनियमों/अधिनियमों/कारणवशात/विदेशी एवं विदेशी, प्रतियोगिता, 2020, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बने नये विनियम, विनियमों, अधिनियमों का पालन करने के लिये कार्य करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निम्न नवीनतम आवश्यक विनियमों का अनुमोदन करवा आवश्यक होगा।
- ✓ संघ को अपने वेबसाइट पर संघ की संस्था सूचनाएं वैसे संघ की ऐतिहासिक प्रति भूमि, राज्य, राज्य-समाज, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुझाव, छात्रसमाज सुझाव आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संघ को विद्यमान/अभियुक्त हेतु उपयुक्त आवश्यक उपकरण करने के साथ दैनिक रखरखाव के सम्बन्ध में संघ का आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ संघ पर सुनिश्चित करे कि संघ में प्रशासनिक/संबन्धित आवश्यकताओं को पालने वाले हेतु निरीक्षण/अभियुक्त के साथ उपलब्ध कराये गये अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम, उपकरण इत्यादि का यदि संघ द्वारा किसी अन्य आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संघ उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संघ संघ की सम्बन्धित सम्बन्धित विनियमों को अनुमोदन की करेगी।
- ✓ संघ के संबंधित निरीक्षण/रीक्षण यदि संघ में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताएं एम.बी.बी.डी.पी.सी.आई.परिषद के आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संघ की सम्बन्धित सम्बन्धित कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित कार्य का अनुमोदन न किये जाने अथवा कार्य का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमोदन/अनुमोदन करवायेगी की करेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

अध्यक्ष

पूजा-0- प्रतियोगिता सम्बन्धित/2021/3538-4899

दिनांक: 08/06/2021

प्रतियोगिता-

उत्तरांचल/विदेशी/DHARMSAMAJ COLLEGE OF PHARMACY, NEAR ACHAL TAL, G T ROAD, ALIGARH


(सुनील कुमार सोनकर)

अध्यक्ष

- ✓ संस्था के ओवरक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

[Handwritten Signature]

(एफ०आर० खान)

सचिव

ए०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक DHARMSAMAJ COLLEGE OF PHARMACY

[Handwritten Signature]

(एफ०आर० खान)

सचिव

**सर्वांगीण,
तृतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या - प्रारंभिक/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

सम्बद्ध दिनांक: 12-09-2023

सर्वांगीण द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं कर्नाटी क्रायडमिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सेंटिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित विद्यार्थीय शारीर तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन विचार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रारंभिक शिक्षा परिषद, 12- 13 सरकार से सम्बद्ध विचार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 23-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद सर्वांगीण से सम्बद्ध समिति को बैठक कराया हुआ। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्नाटी क्रायडमिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संलग्नों को प्रदान अनुमोदन विचार एवं सम्बद्ध समिति द्वारा किये गये निर्णय के अनुक्रम में संलग्नों को सम्बद्ध विचार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संलग्नों को प्रारंभिक शिक्षा परिषद, 12- 13 सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु विद्यार्थीय शारीर के अधीन परीक्षाएं एवं उसमें अखिल प्रवेश इत्यादि हेतु सम्बद्ध विचार प्रदान की जाती है:-

संलग्न का क्रम एवं नाम : 1319-DHARMSAJI COLLEGE OF PHARMACY			
क्रमांक	संस्थाओं का नाम	एडमिशन/सीटों/वर्ष की संख्या/आरक्षण हेतु अनुमोदन प्रवेश शुल्क	परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश शुल्क
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्ध हेतु शर्तें

- ✓ प्रारंभिक शिक्षा, अनुक्रम 3 उत्तर प्रदेश सरकार के संलग्न 2/1/16-2009/2022 टीसी-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संबन्धित संलग्नों को शारीर के विषय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रारंभिक शिक्षा परिषद संलग्न 5027/2023 में तकनीकी शिक्षण के अधीन निर्णय के अधीन संलग्न किया जायेगा।
- ✓ संलग्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्नाटी क्रायडमिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा निर्णय को गयी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्नाटी क्रायडमिल और इण्डिया, नई दिल्ली के संलग्न के अनुक्रम संलग्न में संलग्न संलग्न (पुस्तिका, प्रश्न, विषय उपकरण) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संलग्न उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा परिषद एच. 1982 एवं प्रारंभिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, संशोधित विनियमवली-2016 एवं संलग्न-संलग्न पर निर्णय संलग्नों को अनुमोदन करेगी एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदान किया जायेगा। प्रवेश के अतिरिक्त संलग्नों को शुल्क के सम्बन्ध में संलग्न-संलग्न का संलग्न द्वारा निर्णय किये जाने वाले संलग्नों पर ध्यान देना है, और अनुमोदन संलग्नों किये जाने आवश्यक होता है। और निर्णय समिति द्वारा किये गये वर्ष 2023-24 हेतु शारीर का पूर्णतः निर्णय किया गया है, जो शारीर को परीक्षाएं ही लेनी होगी।
- ✓ संलग्न में संलग्न प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्णय किये जायेगी जो ही प्रवेश दिए जायेगा।
- ✓ संलग्न को संलग्न-संलग्न पर निर्णय संलग्नों के अनुक्रम निर्णय एवं सम्बद्ध शुल्क जमा कराया होगा।
- ✓ संलग्न उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्णय विनियमवली-अतिरिक्त/संलग्नों/संलग्नों/संलग्नों एवं निर्णय, प्रारंभिक शिक्षा, 2000, संलग्न प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 एवं प्रारंभिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा किये गये निर्णय, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन

करने के लिए सादाकारी है।

- ✓ यदि संसद का अधिलेख भारतीय उपमहाद्वीप शिक्षा परिषद/एनसीई आर/विश्व बैंक द्वारा नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संसद में समस्त उपसदस्य संसद का होना और वित्तिक रूप से किसी भी कानूनकारी के लिए संसद एवं उपसदस्यी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विभाग एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश संसद के विरुद्ध यदि कोई बात उठान किया जाता है तब उच्च न्याय के संसद में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतरिम निर्णय किया जाता है तो संसद प्रतिक्रिया संबंधित संसद को करनी होगी।
- ✓ संसदों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्च प्रदेश संसद/उच्च प्रदेश एवं के लिए अधिलेख प्रवेश परीक्षा हेतु अग्रिमिकांतर प्रदान होने के पूर्व अधिलेख भारतीय उपमहाद्वीप शिक्षा परिषद/एनसीई आर/विश्व बैंक द्वारा नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कानून को उपलब्ध कराया होगा अर्थात् उच्च प्रदेश की अनुमोदी प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश संसद द्वारा प्रवेश हेतु संसद-संसद पर निर्दिष्ट कानून/आदेश विधायी के अनुमोदन कराना सादाकारी होगा।
- ✓ संसद को अपने वेबसाइट एवं प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु संसद की संसद सुधार जैसे संसद की वित्तीयिक सुविधा भूमि, साक्षर, साक्षर-साक्षर, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुधार, उदाहरण सुधार आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संसद को विधानपरिषद हेतु उपयुक्त कानून/उपलब्ध करने के साथ दैजिंग टोकेन के संबंध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुविधाएं करनी होगी।
- ✓ संसद एवं सुविधाएं हो से कि संसद में प्रस्तावित/सुधारित पत्र/संसद को सादर करने हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध कराने एवं अधिलेख, भूमि-भार, कमीशन, उपकरण ट्रांसफर का यदि संसद द्वारा किसी अन्य पत्र/संसद के संसद में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संसद उपलब्ध का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसद संसद की समझदार संसद किये जाने की कानूनकारी की जाएगी।
- ✓ उच्च प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (प्राथमिक और उपसदस्यी), सीएमओ का समुद्र किया जाना, विधानसभा, 2000 के प्राधानसुधार परिषद की संसद पर अपने कानूनकारी, धरोहर और कमीशन को परिषद को परीक्षा के संसद के लिए परिषद के अधिकार में रहेगी।
- ✓ संसद के अधिकांश संबंधित विधान के दौरान यदि संसद में भूमि, भार, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साक्षर-साक्षर एन-आई/एनसीई/एनसीई/एनसीई/एनसीई/एनसीई के समस्त/सुधार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संसद की समझदार संसद कर टी करनी।
- ✓ समझदार सार्विक अनुमोदन न किये जाने अथवा सार्विक अनुमोदन किये जाने की स्थिति में निरन्तर अनुमोदन/संसद कानूनकारी की जाएगी।



(अशीष कुमार मिश्र)
सचिव

सं० सं० प्राथमिक/परिषद समझदार/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्राथमिक-
प्राथमिक/परिषद/DHARMSAMAJ COLLEGE OF PHARMACY



(अशीष कुमार मिश्र)
सचिव